राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

धनपत देवी बनाम शंकरलाल

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
211/2019	
17/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/12/2025 को पेश हो।
23/12/2025	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली कैम्प न्याय आपके द्वारा ताला में नियत कर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/06/2018 पारित करते हुए तहसीलदार जमवारामगढ़ को वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 395 रकबा 0.39 हैक्टेयर में उभयपक्षों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार, मौके पर कब्जे के अनुसार सरस-नरस के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/06/2018 के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक हहस पत्रावली पर सुनी गयी। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे के अनुसार सरस-नरस के आधार पर कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार किये जाने के आदेश प्रदान कते हुये अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी प्रतीत नही होती है। विधि अनुसार भी यदि राजस्व रिकार्ड(जमाबन्दी) में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से के सन्दर्भ में कोई आपत्ति नही हो तो राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त को संज्ञान में रखते हुए ही कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की जानी उपयुक्त होती है एवं अपील के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड(जमाबन्दी) में दर्ज सहखातेदारान के हिस्से के सन्दर्भ में कोई आपत्ति जाहिर नही की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 15/06/2018 उचित एवं विधिसम्मत प्रतीत होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/12/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर